

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत
व इजलास

सहायक कलक्टर, चौहटन
कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

मुकाम

चौहटन

अनवान :-

वादी -

1.जीयाखां पुत्र दाउखां, जाति मुसलमान
निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ, जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण -

- वारस
- इशाक
- काम्बू पि.शोभारा
- कासम पुत्र हाजीखान
- विलायत पत्नि एसान
- कायमी पत्नि बचल
- समी पत्नि मनू
- मोहम्मदखान पुत्र मोहम्मद हाजी खान
- रामतला पुत्र अब्दुला, जाति मुसलमान, निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ
- गेनाराम
- गणपत
- उम्मेदाराम पि. हेमाराम
- भंवरलाल पि. खुमाराम जाति जाट, निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ
- सिणगारी पत्नि नन्दलाल, जाति माहेश्वरी, निवासी धोरीमन्ना
- रिडमलराम पुत्र रावताराम, जाति सुथार, निवासी सारणों की नाडी
- पपीयादेवी पत्नि मेघाराम, जाति सुथार, निवासी कितनोरिया
- ऐलची पत्नि तुलछाराम, जाति विश्‌नोई, निवासी आदर्श सोनडी
- रहमानखान पुत्र ईशाखान, जाति मुसलमान, निवासी अलखू फकीर की बस्ती
- लक्ष्मी पत्नि हरलाल, जाति जाट, निवासी कितनोरिया
- सुरेशकुमार पुत्र पेमाराम, जाति विश्‌नोई, निवासी कालू की बेरी
- हरखू पत्नि सुखराम, जाति कुम्हार, निवासी फगलू का तला
- शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भूणिया
- तहसीलदार धनाऊ

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 57/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु.ब.रु. न्यायालय बहाजरी श्री फताराम गोदारा. एड. मिनजानिब मुदाई व श्री मोहनलाल खिलेरी एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कितनोरिया, पटवार क्षेत्र कितनोरिया, तहसील धनाऊ के खेत खसरा सं. 519/195 रकबा 11.4688 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिंग बाबत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.03.2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....



सहायक कलक्टर
SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	प	मुदायलाह	प
स्टाम्प अचीटाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पट्टमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
	मीजान		मीजान	

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	किस्म	लगान	वरग
1	जीयाखा वल्ल दाऊखां कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	00.3318	वा.सो.	00.08	लाल
2	सिणगारी पत्नि नन्दलाल, कौम माहेश्वरी, सा.धोरीमन्ना खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	00.9227	वा.सो.	00.23	पीला
3	अमेदाराम पुत्र हेमाराम हिरसा 567 / 102143 कौम जाट सा.देह, पपीयादेवी पत्नि मेघाराम हि. 1700 / 102143 कौम सुथार सा.देह, भंवरलाल पुत्र खुमाराम हि. 4244 / 102143 कौम जाट सा.देह, मोहमदखान पुत्र मोहमद हाजी खान हि. 1781 / 102143 कौम मुसलमान सा. देह, रहमानखान पुत्र ईशाखान हि. 1726 / 102143 कौम मुसलमान सा. अलखू फकीर की वस्ती खातेदार, रामतला पुत्र अब्दुला हि. 1781 / 102143 कौम मुसलमान सा. देह, रिडमलराम पुत्र रावताराम हि. 1781 / 102143 कौम सुथार सा.सारणों की नाडी, लक्ष्मी पत्नि हरलाल हि. 1007 / 102143 कौम जाट सा.देह खातेदार, वारस पुत्र शोभारा हि. 16511 / 102143 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार रहन एसवीआई भूणिया, विलायत पत्नि एसान हि. 12618 / 102143 कौम मुसलमान, सा. देह खातेदार, समी पत्नि मनू हि. 15517 / 102143 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार, इशाक पुत्र शोभारा हि. 15297 / 102143 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार, सुरेशकुमार पुत्र पेमाराम हि. 1862 / 102143 कौम विश्नोंई सा. कालू की बेरी खातेदार, हनुमानराम पुत्र सदाराम हि. 1781 / 102143 कौम कुम्हार सा.मण्डों की बेरी खातेदार, एलची पत्नि तुलछाराम हि. 1781 / 102143 कौम विश्नोंई सा. आदर्श सोनडी खातेदार, काम्यु पुत्र शोभारा हि. 10926 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, कायमी पत्नि बचल हि. 3156 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, कासम पुत्र हाजीखां हि. 3156 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, गणपत पुत्र हेमाराम हि. 567 / 102143 कौम जाट सा.देह खातेदार, गेनाराम पुत्र हेमाराम हि. 567 / 102143 कौम जाट, सा.देह खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	10.2143	वा.सो.	02.56	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(कुसुमलता चौहान)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी चौहटन
 सहायक कलक्टर
 (1000) सोनभद्र

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 57/2023

पीठासीन अधिकारी - कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अनवान

वादी -

1.जीयाखा पुत्र दाउखा, जाति मुसलमान
निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण -

- 1.वारस 2.इशाक 3.काम्मू पि.शोभारा 4 कासम पुत्र हाजीखान 5 विलायत पत्नि एसम
- 6.कायमी पत्नि बचल 7.समी पत्नि मनू 8 मोहम्मदखान पुत्र मोहम्मद हाजी खान
- 9.रामतला पुत्र अब्दुला, जाति मुसलमान, निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ,
- 10.गेनाराम 11.गणपत 12 उम्मेदाराम पि हमाराम 4 नवरलाल पि खुमाराम
- जाति जाट, निवासी कितनोरिया, तहसील धनाऊ
- 14.सिणगारी पत्नि नन्दलाल, जाति माहेश्वरी, निवासी घोरीमन्ना
- 15.रिडमलराम पुत्र रावताराम, जाति सुथार, निवासी सारणों की नाडी
- 16.पपीयादेवी पत्नि मेघाराम, जाति सुथार, निवासी कितनोरिया
- 17.ऐलची पत्नि तुलछाराम, जाति विशनोई, निवासी आदर्श सोनडी (सड़वा)
- 18.रहमानखान पुत्र ईशाखान, जाति मुसलमान, निवासी अलखू फकीर की बस्ती
- 19.लक्ष्मी पत्नि हरलाल, जाति जाट, निवासी कितनोरिया
- 20.सुरेशकुमार पुत्र पेमाराम, जाति विशनोई, निवासी कावू की बंशी
- 21.हरखू पत्नि सुखराम, जाति कुम्हार, निवासी फगवू का तला
- 22.शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भूणिया
- 23.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण -

वादी वकील -

श्री फताराम गोदारा

प्रतिवादीगण वकील -

श्री मोहनलाल खिलेरी (प्रतिवादी सं. 14)

शेष एकतरफा

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.



दिनांक - 11 03 2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई, वादी एवं प्रतिवादीसं. 14 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ताओं ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा कितनोरिया, पटवार क्षेत्र कितनोरिया, तहसील धनाऊ के खन खसरा सं. 519/195 रकबा 11.4688 हैक्टर के आय हुए हैं। उक्त विवादाधीन भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खान कायम किया जाते हैं।

11/03/2025

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर मे)	किस्म	लगान	बरग
1	जीयाखां वल्द दाऊखां कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	00.3318	बा.सो.	00.08	लाल
2	सिणगारी पत्नि नन्दलाल, कौम माहेश्वरी, सा.धोरीमन्ना खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	00.9227	बा.सो.	00.23	पीला
3	अमेदाराम पुत्र हेमाराम हिस्सा 567 / 102143 कौम जाट सा.देह, पपीयादेवी पत्नि मेघाराम हि. 1700 / 102143 कौम सुथार सा.देह, भंवरलाल पुत्र खुमाराम हि. 4244 / 102143 कौम जाट सा.देह, मोहमदखान पुत्र मोहमद हाजी खान हि. 1781 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह, रहमानखान पुत्र ईशाखान हि. 1726 / 102143 कौम मुसलमान सा. अलखू फकीर की बस्ती खातेदार, रामतला पुत्र अब्दुला हि. 1781 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह, रिडमलराम पुत्र रावताराम हि.1781 / 102143 कौम सुथार सा.सारणों की नाडी, लक्ष्मी पत्नि हरलाल हि.1007 / 102143 कौम जाट सा.देह खातेदार, वारस पुत्र शोभारा हि. 16511 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार रहन एसबीआई भूणिया, विलायत पत्नि एसान हि. 12618 / 102143 कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार, समी पत्नि मनू हि. 15517 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, इशाक पुत्र शोभारा हि. 15297 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, सुरेशकुमार पुत्र पेमाराम हि. 1862 / 102143 कौम विश्णोई सा.कालू की बेरी खातेदार, हनुमानराम पुत्र सदाराम हि. 1781 / 102143 कौम कुम्हार सा0मण्डों की बेरी खातेदार, ऐलची पत्नि तुलछाराम हि. 1781 / 102143 कौम विश्णोई सा.आदर्श सोनडी खातेदार, काम्यु पुत्र शोभारा हि.10926 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, कायमी पत्नि बचल हि.3156 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, कासम पुत्र हाजीखां हि.3156 / 102143 कौम मुसलमान सा.देह खातेदार, गणपत पुत्र हेमाराम हि. 567 / 102143 कौम जाट सा.देह खातेदार, गेनाराम पुत्र हेमाराम हि.567 / 102143 कौम जाट, सा.देह खातेदार	कितनोरिया	519 / 195	10.2143	बा.सो.	02.56	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे।
मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।
खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय
आज दिनांक 11.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (कुसुमलता चौहान)
 सहायक कलक्टर
 एवं उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन
 सहायक कलक्टर
 (SDO) चौहटन